अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 79/2012

लालबाबु सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2220, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को लालबाबु सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–65/2007, पंचायत–नवादा, प्रखंड – मशरक, थाना–मशरक की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं0 11 (श्री अमरेन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मढौरा, सारण) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीः– (1) लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं। (2) संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। (3) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। (4) कैशमेमो नही देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 491 ,दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विकेता से कारण–पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की	

गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि लाभकों की सूची पुरानी हो जाने के कारण शीत, वर्षा एवं दिवाल में नोनी आदि के कारण फट गयी थी। दुर्भाग्यवश जांच की तिथि को स्थल अभाव के कारण विक्रेता के द्वारा नई सूची नहीं लगाई जा सकी थी। राशन/किरासन का भंडार शून्य रहने के कारण संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही था। दूकान से संबंधित सभी अभिलेख अद्बुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 06.01.2012 को अनुमंडल कार्यालय में विक्रेता के द्वारा जमा कर दिया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। कैशमेमो समाप्त हो जाने के कारण नया कैशमेमो के मुदण हेतु मुद्रक के यहाँ दिया गया था लेकिन कार्य बोझ की वजह से वह उसे समय पर उपलब्ध नही करा पाया, जिस कारण जाँच पदाधिकारी के समक्ष नया कैशमेमो प्रस्तुत नही किया जा सका। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2220 दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नही है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना विधिसम्मत नही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार जवाब के प्रसंग में बिन्दुवार आपत्ति अंकित नही की गई है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 305 /न्या0, दिनांक 08/05/2015.

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
8/5/15